"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2009—फाल्गुन 15, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नसीमा जहां पिता श्री अब्दुल करीम, उम्र 42 वर्ष, निवासी मेनरोड केशकाल, पोस्ट-केशकाल, जिला बस्तर (छ. ग.) की हूं. विवाह के पश्चात् मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अपना नाम श्रीमती नसीमा जहां अली पति श्री सैयद हैदर अली रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती नसीमा जहां अली पति श्री सैयद हैदर अली के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
नसीमा जहां पिता श्री अब्दुल करीम निवासी-मेनरोड केशकाल पोस्ट-केशकाल जिला - बस्तर (छ. ग.)	श्रीमती नसीमा जहां अली पति श्री सैयद हैदर अली निवासी-गंगामुंडा पारा पुराना गीदम नाका रमजान बेग के सामने जगदलपुर, जिला - बस्तर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं प्रियंका बाई मेश्राम आत्मजा श्री सी. एल. मेश्राम, उम्र 20 वर्ष, निवासी रेल्वे कालोनी दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम प्रियंका मेश्राम रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे प्रियंका मेश्राम आत्मजा श्री सी. एल. मेश्राम के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
प्रियंका बाई मेश्राम	प्रियंका मेश्राम
आत्मजा श्री सी. एल. मेश्राम	आत्मजा श्री सी. एल. मेश्राम
निवासी-रेल्वे कालोनी, दुर्ग	निवासी-रेल्वे कालोनी, दुर्ग
तह. व जिला - दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला - दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, प्रबंध संचालक एवं जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2009

क्रमांक/वृक्ष सहकारिता/116.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उप नियम 57(5) के तहत परिसमापन के कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित वृक्ष सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण 15 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी, यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंप देवें. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

अ. क्र. (1)	इकाई का नाम (2)	समिति का नाम (3)	पंजी. क्र. (4)	दिनांक (5)
1.	तखतपुर	गांवतपुर	3431	22-11-95
2.		जमुनाही	3440	22-11-95
3.		सुरही	3442	22-11-95
4.		अधरिया	3444	22-11-95
5.		बरगन	3430	22-11-95
6.		चचानडीह	3441	22-11-95
7.	कोटा	उपका	3437	22-11-95
8.		लूफा	3438	22-11-95
9.		खैरा	3439	22-11-95
10.	अकलतरा	कैमाडीह	3432	22-11-95
11.		ठरकपुर	3433	22-11-95
12.		सोंढी	3435	22-11-95
13.		कारीछापर	3434	22-11-95

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.		कटघरी	127	22-11-95
15.	पथरिया	नेवूर	3427	22-11-95
16.		कुक्दूर	3429	22-11-95
17.		अमनिया	3426	22-11-95
18.		पुटपुटा	3428	22-11-95
19.	पेन्ड्रा	मतीन	3417	22-11-95
20.		धवलपुर	3414	22-11-95
21.		बैतलो	3415	22-11-95
22.		ससीन	3416	22-11-95
23.		कोटमर्रा	3418	22-11-95
24.		सधवानी	3423	22-11-95
25.		रूमगा	3443	22-11-95
26.		सरखोर	3422	22-11-95
27.		बरबासन	3445	22-11-95
28.	कोरबा	बरपाली	3436	22-11-95
29.		आमाडांड	3419	22-11-95
30.		चीतापाली	3420	22-11-95
31.		मुढूनारा	3421	22-11-95
32.		बड़मार	3424	22-11-95

जी. फणीन्द्र कुमार राव,
प्रबंध संचालक एवं जिला वन अधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 27 जनवरी 2009

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंजा/परि./08/84.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./196 दिनांक 13-3-08 के द्वारा मां शारदा गौण खनिज उत्पादन सहकारी समिति मर्या., बेरेकेलखुर्द, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 211 दिनांक 3-3-97 है, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. के. सूर्यवंशी, पद स. वि. अ., जैजैपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-1-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
प्र. उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाए, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2009

क्रमांक/परिसमापन/2008/81.— महामाया सहकारी उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, बंधवापारा सरकंडा बिलासपुर, विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3704 दिनांक 16-11-95 विगत वर्षों से अकार्यशील रहने एवं निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए श्रीमती शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: संस्था के परिसमापक श्रीमती शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. समिति के सदस्यों की बैठक आहूत कर यह निर्णय लिया गया कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाय. संस्था को पुनर्जीवित किये जाने के एक माह के भीतर 250 सदस्य बना लिया जावेगा एवं बैंक में 25000.00 कार्यशील पूंजी के रूप में जमा किया जावेगा एवं उपविधि में दिये गए निर्देशानुसार कार्य करने हेतु शपथ पत्र संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जयंत भट्टाचार्य द्वारा शपथ पत्र दिया गया है. परिसमापक द्वारा भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई, परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति को पुनर्जीवित करना सदस्यों के हित में है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-बी, दिनांक 26-07-9० ‍ ५ द्वारा पंजीयक के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए सहकारी सोयायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत महामाया सहकारी उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, बंधवापारा, सरकंडा बिलासपुर, विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, छ. ग. को पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

आगामी तीन माह तक कार्य व्यवसाय एवं कार्य संचालन हेतु निम्नांकित संचालक मंडल घोषित करता हूं :-

1.	श्री जयंत भट्टाचार्य	अध्यक्ष
2.	श्री पृथ्वी लाल सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री श्याम सिंह ठाकुर	सदस्य
4.	श्री रामदयाल कश्यप	सदस्य
5.	श्री छेदी लाल सिंह	सदस्य
6.	श्रीमती पुष्पा ठाकुर	सदस्य

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2009

क्रमांक/परिसमापन/2009/149.— खारंग जलाशय मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, सीस, विकास खण्ड कोटा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3556 दिनांक 30-11-94 विगत वर्षों से अकार्यशील रहने एवं निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार संस्था मत्स्य पालन का कार्य कर रही है. वर्तमान में 25 सदस्य हैं. वर्ष 2006-2007 तक अंकेक्षण पूर्ण एवं आडिट फीस पटाई जा चुकी है. सदस्यों के भरण पोषण संस्था पर निर्भर होने के फलस्वरूप समिति को पुनर्जीवित करना सदस्यों के हित में है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-सी, दिनांक 26-07-99 के द्वारा पंजीयक के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए सहकारी सोयायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत खारंग जलाशय मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, सीस, विकास खण्ड कोटा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3556 दिनांक 30-11-94 जिला बिलासपुर छ. ग. को पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

आगामी तीन माह तक कार्य व्यवसाय एवं कार्य संचालन हेतु निम्नांकित संचालक मंडल घोषित करता हूं :-

1.	श्री खिलेन्द्र कैवर्त	अध्यक्ष
2.	श्री लखन लाल कैवर्त	उपाध्यक्ष
3.	श्री मोती लाल कैवर्त	सदस्य
4.	श्री चमरा राम कैवर्त	सदस्य
5.	श्री कुंजराम कैवर्त	सदस्य

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2008/185.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परिसमापन/1025/बिलासपुर दिनांक 15-5-2008 के तहत मैकल खनिज सहकारी समिति मर्यादित, धनोली, पंजीयन क्रमांक 3763 दिनांक 18-9-96 विकास खण्ड पेन्ड्रा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री जी. डी. जयसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पेन्ड्रारोड को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-2-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2008/186.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परिसमापन/1221/बिलासपुर दिनांक 9-6-2008 के तहत महिमा रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, टिकरापारा बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3716 दिनांक 23-2-96 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है,

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-2-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/190.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परिसमापन/627/बिलासपुर दिनांक 14-3-2008 के तहत मनियारी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, खुडिया, पंजीयन क्रमांक 2952 दिनांक 27-1-01 विकास खण्ड लोरमी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-2-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2009

[छत्तीसगढ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/192.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परिसमापन/1053/बिलासपुर दिनांक 6-9-2005 के तहत रफ्तार परिवहन सहकारी समिति मर्यादित, परसकांपा, पंजीयन क्रमांक 65 दिनांक .... पिवारा खण्ट लोरमी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-2-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/193.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परिसमापन/934/बिलासपुर दिनांक 6-5-20.. के तहत जय महादेव मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, परसवारा, पंजीयन क्रमांक 114 दिनांक 7-8-2001 विकास खण्ड लोरमी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-2-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाए, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 10 फरवरी 2009

क्रमांक/95/उपंग/परिसमापन/2009.—चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक /उपंरा/परिसमापन/728 दिनांक 08-9-2005 के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डुंडेरा, पंजीयन क्रमांक 308, विकासखण्ड-डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70(1) के अधीन सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक ने नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय पाता हूं.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मार्यादित, डुंडेरा, पं. क्र. 308, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) आज दिनांक 10-02-2009 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 10-02-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 10 फरवरी 2009

क्रमांक/96/उपंरा/परिसमापन/2009.— चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक /उपंरा/परिसमापन/3024 दिनांक 27-12-1972 के तहत ईंट कवेलू उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 1619, विकासखण्ड-डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70(1) के अधीन सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक ने नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय पाता हूं.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत ईंट कवेलू उद्योग सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगढ़, पं. क्र. 1619, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) आज दिनांक 10-02-2009 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 10-02-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 16 फरवरी 2009

क्रमांक/115/उपंरा/परिसमापन/2009.— चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक /परिसमापन/179 दिनांक 30-01-1993 के तहत उन्नत कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 44, विकासखण्ड-राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-99 के अन्तर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. रायपुर की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत उन्नत कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव , पं. क्र. 44, विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-02-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.